बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 06/03/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–476/2025–960/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–11548/2025 अरिमर्दन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–10.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–11548/2025 में दिनांक–10.11.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

".....Considering the limited submission of the petitioner, this Court, instead of keeping this matter pending, deems it appropriate to dispose of the same with a liberty to the petitioner to file a detailed representation annexing all the supporting documents and the decision in support of his claim. In case such a representation is filed preferably within a period of four weeks from today before the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar, Patna, the same shall be considered and disposed of in accordance with law...."

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 11548/2025 में दिनांक–10.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सुनवाई निर्धारित करते हुए याचिकाकर्त्ता को दिनांक– 12.12.2025, 23.12.2025 तथा 13.01.2026 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। याचिकाकर्त्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया भी उक्त सुनवाई में निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए ।

4. याचिकाकर्त्ता श्री कुमार का कथन है कि उनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर दिनांक–19.09.1994 को सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। उन्हें नियुक्ति तिथि को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान उच्चतर योग्यता के आधार पर प्राप्त है। इन्होने साहित्यालंकार की उपाधि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से दिनांक–08.05.1999 को प्राप्त किया है। तत्पश्चात् नालंदा खुला विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर की परीक्षा दिनांक–27.11.2025 को उत्तीर्ण हुए। याचिकाकर्त्ता श्री कुमार का यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–11255/2016 में पारित आदेश के उपरान्त हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त साहित्यालंकार की उपाधि को दिनांक–08.04.2016 तक मान्यता दी गयी है। अतः याचिकाकर्त्ता द्वारा उनकी नियुक्ति तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अद्यतन विभागीय निदेश एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से साहित्यालंकार से प्राप्त योग्यता के आधार पर स्नातक प्रशिक्षत कला एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने का दावा प्रस्तुत किया गया।

5. उक्त के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक– 2568 दिनांक– 11.12.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि याचिकाकर्त्ता श्री कुमार की नियुक्ति जिला शिक्षा अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक– 3728 दिनांक–16.09.1994 के द्वारा सहायक शिक्षक के

7

पद पर प्राथमिक विद्यालय, लेवा, गोगरी में हुई थी। याचिकाकर्त्ता ने हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्यालंकार की परीक्षा दिनांक–08.05.1999 को उत्तीर्ण किया है। तत्पश्चात् नालन्दा खुला विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर की परीक्षा दिनांक–27.11.2015 को उत्तीर्ण हुए । वर्तमान में श्री कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक–328 दिनांक–31.01.2014 के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित कला के पद पर दिनांक–31.01.2014 से प्रोन्नति के फलस्वरूप मध्य विद्यालय दानटोला दक्षिण में पदस्थापित है।

6. प्रसंगाधीन मामले के संदर्भ में विभागीय आदेश ज्ञापांक–11/मु0–09–133/2019–2334 दिनांक–16.12.2019 निर्गत है, जिसके अनुसार शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रक्षेत्र में नियोजन/नियुक्ति एवं प्रोन्नति के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–5267 दिनांक–08.04.2016 एवं अधिसूचना संख्या–10878 दिनांक–24.08.2017 द्वारा साहित्यालंकार की उपाधि को दी गई मान्यता दिनांक–08.04.2016 तक प्रभावी होना निदेशित है।

7. याचिकाकर्त्ता के मामले में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या–11255/2016 का जिक्र है। तदालोक में अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या–11255/2016 एवं संलग्न वाद 3828/2015 में दिनांक–22.08.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–07/मु01–17/2018–380 दिनांक–17.04.2023 निर्गत की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया किः–

" हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त साहित्यालंकार की उपाधि की मान्यता के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–5267 दिनांक–08.04.2016 एवं अधिसूचना संख्या–10878 दिनांक–24.08.2017 के प्रावधान के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रक्षेत्र में नियोजन/नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रभावी होंगे। साथ ही उक्त योग्यता के आधार पर प्रोन्नति हेतु तैयार की गई वरीयता सूची के अनुसार प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी एवं यदि वरीयता सूची में किसी वरीय शिक्षक से पूर्व में ही उक्त सूची किसी कनीय शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया हो तो वरीय शिक्षक को उस कनीय शिक्षक को दी गई प्रोन्नति की तिथि से ही प्रोन्नति देय होगा।"

8. अंकनीय है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्यालंकार की उपाधि दिनांक–08.04.2016 के पूर्व प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात् नालंदा खुला विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर की परीक्षा दिनांक–27.11.2025 को उत्तीर्ण हुए।

9. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्त्ता के मामले में, उनके प्रमाण पत्रों की जॉच करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–07/मु01–17/2018–380 दिनांक–17.04.2023 के आलोक में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त निर्णय लेने के क्रम में विभागीय संकल्प सं0–12 दिनांक–05.01.2015 में निहित प्रावधान को भी रखना सुनिश्चित करें।

उक्त अभिमत के साथ इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

विक्रम विरकर
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–476 / 2025–960 पटना, दिनांक 06/03/26

प्रतिलिपिः–1. श्री अरिमर्दन कुमार, पिता– अंबिका प्रसाद गुप्ता, गॉव–विद्याधर, वार्ड सं0– 06 मुख्य डाकघर, पो0+थाना–खगड़िया, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–476 / 2025–960 पटना, दिनांक 06/03/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।